उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 809 /3-2 बजट (Other)/25-26 दिनांक 02 फरवरी, 2026

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06 अन्य कार्य" (Other) मद में आवंटित किये गये **रू 645.00 लाख** की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–558/3–5 दिनांक 29,जनवरी, 2026।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06 अन्य कार्य" (Other) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 645.00 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है। जिसके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–*

क्र0सं0	***प्रभाग का नाम***	***गतिविधि का नाम***	***भौतिक लक्ष्य (प्रभाग द्वारा की गई MIS के अनुसार)***	***आवंटित धनराशि (रू लाख में)***
1	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	River Training works	गौला नदी में रिवर ट्रैनिंग कार्य हेतु	400.00
2	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर		**कोसी व गैबुआ नदी में रिवर ट्रेनिग कार्य हेतु**	100.00
3	हल्द्वानी वन प्रभाग		**शारदा नदी** नदी में रिवर ट्रैनिंग कार्य हेतु	85.00
4	हरिद्वार वन प्रभाग		चिड़ियापूर, गेंडीखाता–2nd व आमसोट नदी में रिवर ट्रैनिंग कार्य हेतु	60.00
	कुल योग			**645.00**

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई–मेल की दिनाक) ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोडे)*** व शासकीय पत्रांक–2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025, शासकीय पत्रांक–2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 एवं शासकीय पत्रांक–2927/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 03.12.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
3. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
4. अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

7. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
10. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
11. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाते हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 809 (1) /3-2 बजट (Other)/ 2025-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, एवं शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 809 (2)/3–2 बजट (Other)/ 2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, कैम्पा।

संख्या: 558 / 3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी /
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06–अन्य कार्य" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवटन।

संदर्भ :– 1 शासनादेश संख्या–**2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356)** दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी. 25060270016 दिनांक 30.06.2025 – आवंटित बजट ₹ 10,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2.शासनादेश संख्या–**2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865)** दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25090270009 दिनांक 19.09.2025 – आवंटित बजट ₹5,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3. शासनादेश संख्या–**2927/X-2-2025-12(31)2025(E-87865)** दिनांक 03 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25120270003 दिनांक 03.12.2025 – आवंटित बजट ₹5,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06–अन्य कार्य" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि **₹** 20,00,00,000 / –(₹ बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व मे अवमुक्त / जारी बजट **₹** 11,02,49,944 / – (₹ ग्यारह करोड़ दो लाख उनचास हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त / जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयीं धनराशि ₹ 6,45,00,000 / – (₹ छः करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबधों के अधीन अवमुक्त / जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– **NA-15/4/2020-NA** दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या– **NA-15/4/2020-NA** दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एव उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा मे न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवटन की प्रत्याशा मे कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. आवटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2 / –

6 अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध मे आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7 प्रत्येक माह के मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आगामी माह की 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 29-01-2026 15:13:06

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 558/3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य) तद्दिनांकित।

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2 अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4 प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5 अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ एवं गढ़वाल तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त एवं शिवालिक वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7 **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
8 मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट मे अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक